[2013] 9 SCR 360

रेसरजेन्स इंडिया

बनाम

भारतीय चुनाव आयोग एवं अन्य

रिट याचिका (दीवानी) सं. 121/2008

13 सितम्बर 2013

[पी. सदाशिवम, सीजेआई, रंजना प्रकाश देसाई एवं रंजन गोगोई,

न्यायमूर्तिगण]

भारतीय संविधान, 1950:

अनुच्छेद 19(1)(a) - वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - जानने का अधिकार - चुनाव में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मतदाता का अधिकार - व्याख्या की गयी - अभिनिर्धारित: नागरिक का अधिकार, कि संसद/राज्य विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार के बारे में जानना अनुच्छेद 19(1)(a) का अभिन्न हिस्सा होगा; और कोई भी कृत्य, जो मौलिक अधिकारों के विपरीत है, असंवैधानिक है - नामांकन पत्र के साथ हलफनामे दायर करने का उद्देश्य अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाना है - नागरिकों को उनके मतदान पूर्व विकल्प चुनने के लिए

नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ प्रस्तुत आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।

भारतीय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:

धारा 33-ए सपठित धारा 36 और 125-ए - सूचना का अधिकार - चुनाव में उम्मीदवारों का चयन - नामांकन पत्र का दाखिला - शपथ पत्र जिसमें कि विवरण रिक्त छोड़े गए हैं - धारा 33-ए की उपधारा (1) के तहत एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में निर्धारित के तहत आवश्यक जानकारी का प्रकटीकरण - सिद्धांतों की व्याख्या की गयी और निर्देश जारी किए गए - अभिनिर्धारित: प्रत्येक उम्मीदवार को अपने लंबित आपराधिक मामलों, संपत्ति व देनदारियों और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में संबंधित जानकारी के साथ एक शपथ पत्र दाखिल करना आवशयक है - रिक्त विवरण के साथ शपथ पत्र दाखिल करना शपथ पत्र को निष्प्रभावी बना देगा- यदि कोई उम्मीदवार रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्मरणपत्र भेजने के बाद भी रिक्त स्थानों को भरने में असफल रहता है, तो नामांकन पत्र अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है - रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामांकन पत्र को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए लेकिन मानदंड को इतना ऊंचा नहीं रखा जाना चाहिए कि न्याय स्वयं प्रभावित हो - स्पष्ट किया गया है कि जब शपथ पत्र रिक्त विवरण के साथ

दाखिल किया जाता है तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज निर्णय का पैरा 73 रिटर्निंग आफिसर के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के लिए बाधक नहीं होगा ।

रिटर्निंग आफिसरधारा 36 सपठित धारा 33-ए - नामांकन की जांच - रिटर्निंग आफिसर का कर्तव्य - स्पष्ट किया गया - संबंधित जानकारी की पूर्ति - अभिनिर्धारित: रिटर्निंग आफिसर एक उम्मीदवार को नियत जांच की तारीख पर संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य कर सकता है - चुनाव आयोग का पहले से ही उम्मीदवारों को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए याद दिलाने हेतु एक मानक प्रारूप निर्धारित है - उम्मीदवारों को यह संदेश देने के लिए कि किसी भी शपथ पत्र को रिक्त विवरण के साथ ग्रहण नहीं किया जाएगा, प्रारूप में एक अतिरिक्त खंड डाला जा सकता है।

धारा 125 ए(i) - मिथ्या शपथ पत्र की दाखिला और विवरणों को रिक्त छोड़कर शपथ पत्र की दाखिला - अभिनिर्धारित: विवरणों को रिक्त छोड़कर शपथ पत्र का दाखिला सीधे तौर पर धारा 125 ए(i) से प्रभावित होगा - हालांकि, जहा तक अभियोजित करने का सवाल है, चूंकि नामांकन पत्र को स्वयं रिटर्निंग आफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, इसलिए उम्मीदवार को उसी कृत्य के लिए फिर से दंडित करने का कोई कारण नहीं है - यदि मिथ्या जानकारी के साथ शपथ पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार और विवरणों को रिक्त छोड़कर शपथ पत्र दाखिल करने वाले

उम्मीदवार को समान रूप से माना जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार, अर्थात् 'जानने का अधिकार', जिसमें वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, का उल्लंघन होगा।

पंजाब विधान सभा चुनाव, 2007 के दौरान, याचिकाकर्ता-संगठन ने विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा दाखिल शपथ पत्रों में संबंधित जानकारी प्रदान करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को देखा, जैसे कि उम्मीदवार की अतीत में किसी आपराधिक प्रकरण में सजा/बरी/छूट, उसके खिलाफ लंबित किसी आपराधिक मामले की जानकारी, उम्मीदवार की संपत्ति की जानकारी और उसके/उसकी पत्नी और आश्रितों की संपत्ति की जानकारी आदि, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स[1] और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज[2] (पीयूसीएल) के निर्णयानुसार आवश्यक था। इसलिए, याचिकाकर्ता ने भारत निर्वाचन आयोग को प्रत्याशियों द्वारा दाखिल की गई शपथ पत्रों में बड़ी संख्या में अप्रकटिकरणों और रिटर्निंग आफिसर द्वारा जांच के निम्न स्तर के संबंध में प्रतिवेदन दिया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्रों में झूठी/अपूर्ण जानकारी प्रदान करने के कारण नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने में, पीयूसीएल में निर्णय के मद्देनजर, अपनी अक्षमता व्यक्त की । याचिकाकर्ता ने विशिष्ट निर्देशों के जारी करने के लिए हस्तगत रिट याचिका दायर की ताकि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पीयूसीएल में निर्णयों

---

1 Union of India v. Association for Democratic Refroms 2002 (3) SCR 696.

2 People's Union for Civil Uberlies (PUCL) and Another vs. Union of India & Anr. 2003 (2) SCR 1136.

का अर्थपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, और रिक्त स्थानों वाली शपथ पत्रों को अस्वीकार किया जा सके इसके अलावा उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने के लिए कि प्रत्याशियों द्वारा दायर की गई शपथ पत्र पूर्णतया भरे हुए हैं।

याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायालय द्वारा:

निर्धारित: 1.1. रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं जिसके आधार पर शपथ पत्रों में भरे जाने वाले विषय वास्तव में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और परिणामस्वरूप, शपथ पत्र को रिक्त छोड़ने से वास्तव में यह असंभव हो जाएगा कि रिटर्निंग आफिसर यह सत्यापित कर सकें कि क्या उम्मीदवार योग्य है या अयोग्य, जो वास्तव में उसी को दाखिल करने के पीछे के उद्देश्य को विफल कर देगा। [पैरा 16]

अभिनिर्धारित: 1.2. इस अदालत ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में कहा है कि एक मतदाता को उस उम्मीदवार के पूर्ण विवरण जानने का मौलिक अधिकार है जो उसका प्रतिनिधित्व संसद में करने वाला है और ऐसे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सर्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त प्राकृतिक अधिकार है जो लोकतंत्र की अवधारणा से प्रवाहित होता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का अभिन्न भाग है।

इसके अलावा कहा गया कि मतदाता का भाषण या अभिव्यक्ति चुनाव के मामले में मतदान करना शामिल होगा, क्योंकि मतदाता वोट डालने के द्वारा अपनी बात कहता है या अभिव्यक्ति करता है। इस उद्देश्य के लिए, चयनित होने वाले उम्मीदवार के बारे में जानकारी आवश्यक है। इस प्रकार, स्पष्ट शब्दों में, यह मान्यता प्राप्त है कि नागरिक का अधिकार जो संसद/राज्य विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व करता है उसका अधिकार जानने का अनुच्छेद 19(1)(ए) का एक अभिन्न भाग होगा; और मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई भी कृत्य प्रारंभ से ही अधिकरातीत होगा। इस पृष्ठभूमि के साथ, धारा 33ए को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में 24.08.2002 से प्रभाव के साथ सम्मिलित किया गया, इसका उद्देश्य एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में विचारित अधिकार को प्रभावित करना है। सभी उम्मीदवारों को धारा 33ए के तहत लंबित आपराधिक प्रकरणों की घोषणा करने की आवश्यकता थी, जैसा कि नामांकन पत्र के साथ धारा 33(1) के तहत आरपी अधिनियम के अनुसार निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र दाखिल हेतु निर्दिष्ट किया गया था, ताकि नागरिक उम्मीदवार के आपराधिक पूर्वाचारों के प्रति जागरूक हो सकें इससे पहले कि वे भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार द्वारा अपनी चयन स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें। परिणामस्वरूप, प्रत्येक उम्मीदवार को उसके/उसके आपराधिक पूर्वाचारों, संपत्ति और देनदारियों और शैक्षणिक योग्यताओं के

संबंध में संबंधित जानकारी के साथ एक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए आबद्ध है। [पैरा 17, 18 और 19]

निर्धारित: 1.3. इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करना कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है, लेकिन विषयों को रिक्त छोड़ने से उसी को दाखिल करने के पीछे के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिक के मौलिक अधिकार को प्रभावी करना है। इस उद्देश्य के लिए, रिटर्निंग आफिसर एक उम्मीदवार को जांच की तिथि पर संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य कर सकता है। चुनाव आयोग का पहले से ही उम्मीदवारों को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए याद दिलाने हेतु एक मानक प्रारूप निर्धारित है। उम्मीदवारों को यह संदेश देने के लिए कि किसी भी शपथ पत्र को रिक्त विवरण के साथ ग्रहण नहीं किया जाएगा, प्रारूप में एक अतिरिक्त खंड डाला जा सकता है, इस प्रकार यह संदेश दिया जाए कि रिक्त विवरणों के साथ किसी भी शपथ पत्र को ग्रहण नहीं किया जाएगा। यदि चुनाव आयोग शपथ पत्रों में विवरणों को रिक्त छोड़ने के बावजूद नामांकन पत्रों को स्वीकार करता है, तो यह सीधे तौर पर नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा कि वह उम्मीदवार के आपराधिक पूर्वाचारों, संपत्ति और देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता को जाने, और यह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में फैसले को निष्प्रभावी कर देगा। सिविल लिबर्टीज निर्णय के पैरा 73 में कहीं भी

ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं की गई है जो रिटर्निंग आफिसर को रिक्त विवरणों के साथ दाखिल शपथ पत्र के आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकार करने से रोकता है। [पैरा 20, 21, 23 और 26]

2.1. आरपी अधिनियम की धारा 125 ए यह निर्धारित करती है कि उम्मीदवार के द्वारा मांगे गए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में असफल रहने का कृत्य उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमे की ओर बढ़ेगा। यदि मिथ्या जानकारी के साथ शपथ पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार और विवरणों को रिक्त छोड़कर शपथ पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार को समान रूप से माना जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार, अर्थात् 'जानने का अधिकार', जिसमें वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, का उल्लंघन होगा, जैसा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में व्याख्या की गई है। [पैरा 24 और 25]

2.2. इस अदालत के निर्णयों में कानून के निर्वाचन से उभरने वाले सिद्धांतों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है:

(i) मतदाता को संसद/विधान मंडल में उसका प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार के पूर्ण विवरण जानने का मौलिक अधिकार है, और ऐसे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसलिए

यह कहा गया है कि उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार लोकतंत्र की धारणा से प्रवाहित एक प्राकृतिक अधिकार है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का एक अभिन्न अंग है।

(ii) नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रभावी करना है। नागरिकों को नामांकन पत्र दाखिल करने के समय आवश्यक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए, रिटर्निंग आफिसर एक उम्मीदवार को संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य कर सकता है।

(iii) विवरणों को खाली छोड़ शपथ पत्र दायर करने से शपथ पत्र निष्फल हो जाएगा।

(iv) रिटर्निंग आफिसर का कर्तव्य है कि वह जांच करे कि क्या नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल करने के समय आवश्यक जानकारी पूरी तरह से प्रदान की गई है, क्योंकि ऐसी जानकारी नागरिकों के 'जानने के अधिकार' को प्रभावी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई उम्मीदवार रिटर्निंग आफिसर द्वारा दी गई चेतावनी के बाद भी रिक्त स्थानों को भरने में विफल रहता है, तो नामांकन पत्र खारिज होने के लिए पर्याप्त है। नामांकन पत्र को अस्वीकार करने की रिटर्निंग आफिसर की शक्ति

को बहुत सतर्कता से प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन यह मानदंड इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए कि न्याय स्वयं पक्षपातपूर्ण हो।

(v) स्पष्ट किया जाता है सिविल लिबर्टीज निर्णय के पैरा 73 में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो रिटर्निंग आफिसर को रिक्त विवरणों के साथ दाखिल शपथ पत्र के आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकार करने से रोकता हो।

(vi) उम्मीदवार को कम से कम प्रयास करना चाहिए कि स्तंभों में 'निल' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' के रूप में स्पष्ट टिप्पणी करें और विवरणों को खाली न छोड़ें।

(vii) रिक्त विवरणों के साथ शपथ पत्र दाखिल करना सीधे तौर पर आरपी अधिनियम की धारा 125 ए(i) से प्रभावित होगा। जहा तक अभियोजित करने का सवाल है, चूंकि नामांकन पत्र को स्वयं रिटर्निंग आफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, इसलिए उम्मीदवार को उसी कृत्य के लिए फिर से दंडित करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 27]

1. यह याचिका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णयों को सार्थक रूप से लागू करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है, जिसमें भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सऔर अन्य (2002) 5 एससीसी 294 और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज(पीयूसीएल) और अन्य

बनाम भारतीय संघ और अन्य (2003) 4 एससीसी 399 शामिल हैं, और यह भी निर्देशित करने के लिए कि प्रतिवादी यहाँ रिटर्निंग आफिसरों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करें कि प्रत्याशियों द्वारा दायर शपथ पत्र सभी मायनों में पूर्ण हैं और उन शपथ पत्रों को अस्वीकार करने के लिए जिनमें खाली विवरण हैं।

पृष्ठभूमि:

2. चुनावों की पवित्रता बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, इस न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (सुप्रा) में, भारत चुनाव आयोग - प्रतिवादी संख्या 1 को यहाँ निर्देशित किया है कि वह अपने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शक्ति का प्रयोग करके आवश्यक आदेश जारी करे, ताकि हर उम्मीदवार से जो संसद या राज्य विधानसभा के लिए चुनाव का प्रत्याशी है , उससे एक शपथ पत्र पर सूचना के लिए कहा जा सके जो उसके नामांकन पत्र का एक आवश्यक हिस्सा हो, जिसमें उसके अतीत में किसी भी आपराधिक अपराध में सजा/बरी/आरोपमुक्ति, उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा लंबित है या नहीं, जिसमें 2 साल या उससे अधिक की सजा की संभावना है, उम्मीदवार की संपत्ति (चल, अचल, बैंक शेष आदि) की सूचना के साथ-साथ उसके/उसकी पति/पत्नी की और उसके आश्रितों की, यदि कोई दायित्व हो, और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता की की सूचना दी गई हो।

3. उपरोक्त आदेश के अनुसार, चुनाव आयोग ने, दिनांक 28.06.2002 के आदेश के तहत, उम्मीदवारों को कुछ निर्देश जारी किए कि वे एक शपथ पत्र के रूप में पूरी और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें, जो पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट के सामने उचित रूप से शपथ लेकर की गई हो, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (सुप्रा) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में। यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करना या किसी गलत या अपूर्ण सूचना की प्रस्तुति या किसी महत्वपूर्ण सूचना का संकुचन, नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त होगा, इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दंडात्मक परिणाम होंगे। यह आगे स्पष्ट किया गया कि केवल वही सूचना गलत या अपूर्ण मानी जाएगी या सामग्री सूचना का संकुचन माना जाएगा, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जाँच के समय किए गए संक्षिप्त जाँच में महत्वपूर्ण स्वरूप की दोषपूर्णता पाई गई हो।

4. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) (सुप्रा) में, हालांकि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय की पुष्टि की, लेकिन यह भी निर्धारित किया कि गलत जानकारी प्रदान करने या महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाने के लिए नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने का निर्देश और संपत्ति और देयता की पुष्टि के लिए संक्षेप में जाँच करने का समय नामांकनों की जाँच के समय न्यायसंगत नहीं हो सकता है।

5. इसके उपरांत, चुनाव आयोग ने, दिनांक 27.03.2003 के आदेश के तहत, अपने पिछले आदेश दिनांक 28.06.2002 को, संपत्ति और देयता की पुष्टि के लिए संक्षेप में जाँच करने के संबंध में और गलत जानकारी प्रदान करने या महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाने के कारण नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने के संबंध में प्रवर्तनीय नहीं बनाया।

6. फिर से, भारतीय चुनाव आयोग ने, दिनांक 02.06.2004 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने के संबंध में कोई भी शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित है, तो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण, जो उससे संबंधित है, के समक्ष औपचारिक शिकायत दायर करके, कार्रवाई करनी चाहिए।

संक्षिप्त तथ्य:

7. उपरोक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में, हस्तगत मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं: - रेसरजेन्स इंडिया -याचिकाकर्ता यहाँ एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) है, जिसे 1860 के सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है और यह समाजिक जागरूकता, समाजिक सशक्तीकरण, मानव अधिकार और सम्मान के लिए काम कर रहा है। पंजाब

विधानसभा चुनाव, 2007 के दौरान, याचिकाकर्ता-संगठन ने "पंजाब चुनाव वॉच" के बैनर के तहत एक बड़ा अभियान चलाया और राज्य की छह प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों से संबंधित शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया ताकि उनकी पूर्णता की पुष्टि की जा सके। इस तरह के अभियान के दौरान, उम्मीदवारों द्वारा दायर अधिकांश शपथ पत्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गईं।

8. 09.02.2007 को, याचिकाकर्ता-संगठन ने भारत चुनाव आयोग को पंजाब राज्य के प्रतियोगियों द्वारा दायर शपथ पत्रों में बड़ी संख्या में गैर-प्रकटन और रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नामांकन पत्रों की निगरानी के निम्न स्तर के बारे में एक प्रतिवेदन किया। दिनांक 20.02.2007 के पत्र के माध्यम से, भारतीय निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्रों में झूठी/अपूर्ण जानकारी प्रदान करने के कारण नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने में, पीयूसीएल में निर्णय के मद्देनजर, अपनी अक्षमता व्यक्त की।

9. इससे आहत होकर, याचिकाकर्ता-संगठन ने इस याचिका को दायर किया है जिसमें परमादेश के रिट का जारी करने का निवेदन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्याशियों द्वारा दायर किए गए शपथ पत्र सभी मायनों में पूर्ण हों और उन नामांकन पत्रों को अस्वीकार किया जाए जो अधूरे/खाली शपथ पत्रों के साथ संलग्न होते हैं। याचिकाकर्ता-संगठन ने यह भी प्रार्थना की है कि यदि इस तरह के अधूरे शपथ पत्रों को स्वीकार

किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की जाए ताकि निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप में त्रुटियों को दूर किया जा सके।

10. श्री प्रशांत भूषण, याचिकाकर्ता-संगठन के अधिवक्ता, श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा, भारत चुनाव आयोग-प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता और श्री ए. मरियारपुतम, भारत संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना गया।

वांछित प्रार्थना/अनुतोष हेतुः

याचिकाकर्ता-संगठन का पक्षः

11. याचिकाकर्ता-संगठन ने उपयुक्त रिट/निर्देश के जारी करने की प्रार्थना की, जिसमें परमादेश रिट शामिल है, जो प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों द्वारा दायर किए गए शपथ पत्रों को सभी मायनों में पूर्ण होना सुनिश्चित करें और उन नामांकन पत्रों को अस्वीकार करें, जो खाली शपथ पत्रों के साथ संलग्न हैं।

भारतीय चुनाव आयोग का पक्षः

यह भारत चुनाव आयोग की स्थिति है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) (सुप्रा) में निर्णय रिटर्निंग अधिकारियों को केवल उम्मीदवारों द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्रों में झूठी/अपूर्ण/खाली सूचना प्रदान करने के कारण नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। संक्षेप में, उन्होंने यह तर्क रखा है कि उनके पास उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने के लिए कोई

गुंजाइश नहीं है। हालांकि, भारतीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने यह सवाल उठाया कि चुनाव आयोग भी इस राय का समर्थन करता है कि अपूर्ण नामांकन पत्रों को अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए, भारत चुनाव आयोग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।

भारत संघ का पक्ष:

भारत संघ ने भी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए समान तर्क पेश किए। दिलचस्प बात यह है कि भारत संघ ने यह भी सवाल उठाया है कि इस न्यायालय द्वारा मिथ्या जानकारी वाले नामांकन पत्र स्वीकार करने को परन्तु नामांकन पत्र जिनके संलग्न शपथ पत्र जिसमें विवरण खाली छोड़ दिए गए हैं को खारिज करने को कैसे न्यायसंगत ठहराया जाएगा, और ऐसी स्तिथि में प्रार्थना की है कि दोनों उपरोक्त स्थितियों को समान माना जाना चाहिए।

विचार-विमर्श:

12. याचिकाकर्ता-संगठन और प्रतिवादी/भारत संघ दोनों एक ही परिस्थिति के खिलाफ विभिन्न उपचार मांग रहे हैं, अर्थात जहाँ उम्मीदवार द्वारा दाखिल शपथ पत्र में जानकारी को सही बताया गया है लेकिन उसी के विवरण खाली छोड़ दिए गए हैं; याचिकाकर्ता-संगठन ऐसी स्थिति में नामांकन पत्र को खारिज करने की मांग कर रहा है, जबकि भारत संघ इसे गलत शपथ पत्र दाखिल करने के साथ समान मानने की प्रार्थना कर रहा है

और 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (संक्षेप में 'आरपी एक्ट') की धारा 125A के तहत उम्मीदवार के विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन संस्थित करवाने का प्रस्ताव रख रहा है।

13. संलग्न मुद्दे को समझने के लिए, आरपी एक्ट की संबंधित धाराओं का संदर्भ लेना वांछनीय है। आरपी एक्ट की धाराएं 33ए, 36 और 125ए निम्नलिखित प्रकार से हैं:

> "33ए. सूचना का अधिकार।— (1) एक उम्मीदवार को इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अपने नामांकन पत्र में, वांछित जानकारी के अलावा, जो उसे धारा 33 की उपधारा (1) के तहत प्रदान की जानी है, यह भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए कि –
>
> (क) किसी ऐसे लंबित मामले में, जिसमें सक्षम अिधकाि◌रता वाले किसी न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिया गया है , दो वर्ष या उससे अधिक की अविध के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है;
>
> (ख) उसके खिलाफ कोई दंडनीय अपराध [धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में उल्लिखित किसी भी अपराध या उपधारा (3) में शामिल अपराध को छोड़कर

सिद्ध हुआ है, और उसे एक साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है।

(2) उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक, जैसा कि मामला हो सकता है, उम्मीदवार द्वारा धारा 33 की उपधारा (1) के तहत रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र जमा करते समय, उसे एक निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार द्वारा शपथीय शपथ पत्र भी सौंपना होगा, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी की पुष्टि की जाए।

(3) रिटर्निंग अधिकारी उपधारा (1) के तहत उसे जानकारी प्रदान किए जाने के बाद शीघ्र ही उपधारा (2) के तहत सौंपे गए शपथ पत्र की एक प्रति को अपने कार्यालय में एक सुस्पष्ट स्थान पर चिपका कर उस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मतदाताओं के लिए उपरोक्त जानकारी प्रदर्शित करेगा जिसके लिए नामांकन पत्र जमा किया गया है।

36 नामांकन की जाँच - (1) धारा 30 के तहत निर्धारित नामांकन जाँच की तारीख पर, उम्मीदवार, उनके चुनावी एजेंट, प्रत्येक उम्मीदवार के एक प्रस्तावक, और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किए गए एक अन्य व्यक्ति, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति नहीं, उस समय और स्थान पर भाग ले सकते हैं जो रिटर्निंग अधिकारी निर्धारित कर सकते हैं;

और रिटर्निंग अधिकारी को उन्हें सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जाँच के लिए उचित सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए जो समय में और धारा 33 में निर्धारित तरीके से जमा किए गए हैं।

(2) रिटर्निंग अधिकारी तब नामांकन पत्रों की जाँच करेगा और किसी भी नामांकन के खिलाफ की गई सभी आपत्तियों का निर्णय करेगा और किसी भी निम्नलिखित आधारों पर, या तो ऐसी आपत्ति पर या अपने स्वतंत्र निर्णय पर, जितनी संक्षेप में जाँच करना आवश्यक समझे, किसी भी नामांकन को खारिज कर सकता है:—

(अ) कि जिस दिन नामांकन की जाँच के लिए निर्धारित होता है, उम्मीदवार या तो उन्होंने योग्यता नहीं पाई है या किसी भी निम्नलिखित प्रावधानों के तहत चुना जाने के लिए योग्य नहीं है, जो लागू हो सकते हैं, अर्थात्: अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191, इस अधिनियम के भाग II, और संघ संघ के प्रशासन के अधिनियम, 1963 (20 ऑफ 1963) की धारा 4 और 14 के तहत; या

(ब) कि धारा 33 या धारा 34 के किसी भी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है; या

(स) कि उम्मीदवार या प्रस्तावक का नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर असली नहीं है।

(3) उपधारा (2) की उपधारा (ब) या उपधारा (क) में निहित कोई भी बात नामांकन पत्र के संबंध में किसी अनियमितता के कारण किसी भी उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने के अधिकार को प्रेरित नहीं करेगी, यदि उम्मीदवार को दूसरे नामांकन पत्र के माध्यम से ठीक से नामित किया गया है जिसके संबंध में कोई अनियमितता नहीं की गई है।

(4) रिटर्निंग अधिकारी किसी भी दोष के कारण किसी भी नामांकन पत्र को खारिज नहीं करेगा जो महत्वपूर्ण प्रकृति का नहीं है।

(5) रिटर्निंग अधिकारी इस तथ्य की जाँच उस तिथि को निर्धारित करेगा जो इस धारा 30 के उपधारा (ब) के तहत नियुक्त की जाती है, और उसे उन प्रक्रियाओं का बदला नहीं देगा, केवल जब ऐसे प्रक्रियाएँ हिंसा या प्रखर हिंसा द्वारा या उसके नियंत्रण के परे किसी कारण से बाधित या अवरुद्ध की जाती हैं:

प्रदान की गई है कि यदि किसी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आपत्ति उठाई जाती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है तो संबंधित उम्मीदवार को उसे उसके बाद के दिन लेकिन जाँच की तारीख के लिए निर्धारित तिथि से एक दिन पहले उत्तर देने का समय दिया जा सकता है, और रिटर्निंग अधिकारी को उस तिथि पर अपना निर्णय दर्ज करना चाहिए जिस पर प्रक्रियाएँ स्थगित की गई हैं।

(6) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर अपना निर्णय स्वीकार करने या खारिज करने का अनुमोदन करेगा और, यदि नामांकन पत्र खारिज किया जाता है, तो उसे लिखित रूप में एक संक्षिप्त विवरण दर्ज करना चाहिए, जिसमें उसके ऐसा करने के कारणों को स्पष्ट किया गया हो।

(7) इस खंड के उद्देश्यों के लिए, एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्तमान में प्रभाव में रहने वाले निर्वाचक नामावली में एक प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति इस बात का निष्कर्ष रूप साक्षात्कार करेगी कि उस प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता है, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि वह व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (43 का 1950) की धारा 16 में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन है।

(8) जैसे ही सभी नामांकन पत्रों की जाँच की जाती है और स्वीकार करने या खारिज करने के निर्णय दर्ज किए जाते हैं, रिटर्निंग अधिकारी एक सूची तैयार करेगा जिसमें मान्य रूप से नामित उम्मीदवारों के नाम होंगे, यानी ऐसे उम्मीदवारों के नाम जिनके नामांकन को मान्य पाया गया है, और इसे अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका देगा।

125A. मिथ्या शपथपत्र दाखिल करने का दंड, आदि।—एक उम्मीदवार जो स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से, चुनाव में निर्वाचित होने की मंशा से,-

(i) धारा 33A की उपधारा (1) से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ii) वह मिथ्या जानकारी प्रदान करता है जिसे वह जानता है या झूठा मानने का कारण है; या

(iii) अपने नामांकन पत्र में जो उपधारा 33 की उपधारा (1) के तहत जमा किया गया है या धारा 33A की उपधारा (2) के तहत जमा किया गया शपथ पत्र में कोई जानकारी छुपाता है, जैसा कि मामला हो सकता है, वह, इस समय में बल में किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, छह महीने तक की कारावास की सजा के साथ दंडनीय होगा, या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ।"

14. उपर्युक्त कारणों के दृष्टिकोण से, उम्मीदवार द्वारा शपथपत्र के साथ छोड़े गए विशेषों के साथ नामांकन पत्र को पुनरीक्षण के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज करने की शक्ति इस न्यायालय के तीन-जज बेंच के तर्क से प्राप्त की जा सकती है जो कि शालिग्राम श्रीवास्तव बनाम नरेश सिंह पटेल (2003) 2 एस.सी.सी. 176 में था। उक्त मामले में, एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र नामांकन के समय धारा 36(2) के तहत खारिज हो गया क्योंकि उसने जो प्रारूप चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया था, वह उम्मीदवार को बताने के लिए था कि उसने धारा 8 में उल्लिखित किसी भी अपराध के लिए सजा हो चुकी है या नहीं। वास्तव में, उस

उम्मीदवार ने शपथपत्र द्वारा बताया कि प्रारूप में दी गई जानकारी सही है, लेकिन प्रारूप खुद ही खाली था। उस उम्मीदवार ने उसमें वर्तमान मामले में संघ द्वारा जिस प्रकार का आरोप उठाया किया था। उम्मीदवार ने कहा कि उसका नामांकन पत्र इस कारण खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या उसके द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ऐसा कोई प्रारूप नहीं भरा था। इसमें कहा गया कि आयोग केवल किसी प्रारूप को निर्धारित करने के लिए केवल क्रियाशील निर्देश हो सकता है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई प्रारूप वैधिक रूप से प्रदान नहीं किया गया था; जिसका कुछ भी दोष नहीं था।

15. हालांकि, आपत्ति के आधार वास्तविक रूप से मौजूदा मामले के समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस फैसले में प्रस्तुत तर्क दिए गए मामले में निर्णय पर पहुंचने के लिए सहायक होगा। उस मामले में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस न्यायालय ने शपथ पत्र भरने के पीछे के उद्देश्य के माध्यम से संदर्भित किया। उस मामले में आवश्यक प्रारूप को उम्मीदवार के संबंध में आवश्यक और संबंधित जानकारी के लिए भरना आवश्यक था, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के प्रकाश में था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि जांच के समय, रिटर्निंग अधिकारी को यह तय करने का हक है कि क्या उम्मीदवार योग्य है और अयोग्य नहीं है, इसलिए, रिटर्निंग अधिकारी को उस समय या जांच से पहले ऐसी जानकारी प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। इसके आगे यह कहा

गया था कि यदि उम्मीदवार इस तरह की जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है और नामांकन पत्रों की जांच के समय स्वयं को अनुपस्थित करता है, तो वह स्पष्ट रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36(2) के तहत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जा रही वैधानिक जांच से बच रहा है, जिससे उसकी अयोग्यता या अयोग्यता का संबंध है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में। इससे नामांकन में एक महत्वपूर्ण चरित्र का दोष पैदा होना निश्चित है। इस न्यायालय ने आगे कहा था कि:-

> "17 मौजूदा मामले में उम्मीदवार ने उसे दी गई प्रो फॉर्मा पर मांगी गई जानकारी प्रदान करने में विफलता प्राप्त की थी और नामांकन की जांच के समय स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने में भी विफल रहा था। नामांकन पत्र की उचित जांच के लिए रिटर्निंग अधिकारी का वैधानिक कर्तव्य/शक्ति निरर्थक बन गया था। नामांकन पत्र की अधिनियम की धारा 36(2) के तहत अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में कोई जांच नहीं की जा सकी थी। इससे नामांकन पत्र में एक महत्वपूर्ण चरित्र का दोष उत्पन्न हुआ और रिटर्निंग अधिकारी ने उसे खारिज करने का अधिकार रखता था।"

16. यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों को उस आधार पर खारिज करने की शक्ति प्राप्त करते हैं कि शपथ पत्रों में भरने के लिए जानकारी महत्वपूर्ण होती है ताकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य को प्रभावित किया जा सके, और परिणामस्वरूप, शपथ पत्र को खाली छोड़ना वास्तव में यह असंभव बना देगा कि रिटर्निंग अधिकारी यह जांचे कि क्या उम्मीदवार योग्य है या अयोग्य है जो वास्तव में उसे दाखिल करने के पीछे के उद्देश्य को निरर्थक बना देगा। संक्षेप में, इस न्यायालय ने शालीग्राम (सुप्रा) में प्रारूप भरने के पीछे के उद्देश्य का मूल्यांकन किया ताकि रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन पत्रों को खारिज करने की छूट मिले।

17. उपरोक्त तर्क की रोशनी में, अब हमें दिए गए मामले के तथ्यों का आकलन करना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने निर्णय किया था कि एक लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों को पर्याप्त रूप से सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे उन निर्णयों को बुद्धिमत्ता से लागू कर सकें जो उन्हें खुद को प्रभावित कर सकते हैं और यह उनके निर्णय में शामिल होगा कि वे किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने का निर्णय लें। इस न्यायालय ने आगे कहा कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा उसके अपराधिक इतिहास, संपत्ति और देयता और शैक्षिक योग्यता के संबंध में खुलासा किया जाता है, तो यह मतदाताओं को उनके

वोट डालने के उपयुक्त निर्णय को मजबूत करेगा। इस न्यायालय ने आगे कहा था कि:

"38. यदि खेल खेलने के अधिकार और खेल देखने के अधिकार और ऐसी जानकारी देने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) का हिस्सा माना जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि एक नागरिक/मतदाता - एक साधारण आदमी - अपने उम्मीदवार के अतीत के बारे में जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार क्यों नहीं माना जा सकता। हमारे विचार में, बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिना स्वतंत्र और निष्पक्षता से सूचित मतदाताओं के लोकतंत्र टिक नहीं सकता। असूचित मतदाताओं द्वारा एक्स या वाई उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोट बेमानी होंगे। जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ में कहा गया है, एकतरफा जानकारी, गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी और कोई जानकारी नहीं, सभी समान रूप से एक असूचित नागरिकता पैदा करते हैं, जो लोकतंत्र को एक रंगमंच बनाते हैं। इसलिए, एक गलत सूचित और असूचित मतदाता या केवल एकतरफा जानकारी वाले मतदाता द्वारा डाले गए वोट निश्चित रूप से लोकतंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानकारी देने और

प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, जिसमें राय रखने की स्वतंत्रता शामिल है। ग्रहण 'वाक् और अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता में निहित है और इसे कहने का कोई कारण नहीं है कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक उम्मीदवार की संबंधित सामग्री जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा जो लोकतंत्र में सर्वोपरि महत्व के पद के लिए चुनाव लड़ रहा है।"

46...4. चुनावों की पवित्रता बनाए रखने और विशेष रूप से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, आयोग उम्मीदवारों से राजनीतिक दलों द्वारा की गई व्यय के बारे में पूछ सकता है और इस चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का अर्थ होगा कि एक उम्मीदवार जो चुनाव या पुनः चुनाव चाहता है। लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया की रणनीतिक भूमिका होती है। इस देश के साधारण आदमी को यह मौलिक प्राथमिक अधिकार होना चाहिए कि वह एक उम्मीदवार की पूरी विवरण जाने, जो संसद में उसका प्रतिनिधित्व करने वाला है जहां उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति को बांधने वाले कानून बनाए जा सकते हैं।

..7. हमारे संविधान के तहत, अनुच्छेद 19(1)(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चुनाव के मामले में मतदाता का भाषण या अभिव्यक्ति मतदान करने को शामिल करेगा, यानी मतदाता वोट

डालकर अपनी बात कहता है या अभिव्यक्ति करता है। इस उद्देश्य के लिए, चयनित होने वाले उम्मीदवार के बारे में जानकारी एक आवश्यकता है। मतदाता का (सामान्य आदमी-नागरिक का) अधिकार जानने के लिए कि उसका उम्मीदवार जो सांसद या विधायक के लिए चुनाव लड़ रहा है, उसके अतीत के बारे में सहित अपराधिक अतीत, लोकतंत्र के टिके रहने के लिए कहीं अधिक मौलिक और आधारभूत है। सामान्य आदमी अपनी पसंद बनाने से पहले सोच सकता है कि क्या वह कानून-तोड़ने वालों को कानून-निर्माता बनाना चाहता है।"

18. इस प्रकार, इस न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि एक मतदाता का मौलिक अधिकार है कि वह उस उम्मीदवार की पूरी जानकारी जाने, जो उसका प्रतिनिधित्व संसद में करने वाला है, और इस प्रकार की जानकारी पाने का अधिकार सर्वसामान्य रूप से मान्य प्राकृतिक अधिकार है, जो लोकतंत्र की अवधारणा से उत्पन्न होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा यह कहा गया कि चुनाव के मामले में मतदाता का भाषण या अभिव्यक्ति मतदान करने को शामिल करेगा, यानी मतदाता वोट डालकर अपनी बात कहता है या अभिव्यक्ति करता है। इस उद्देश्य के लिए, चयनित होने वाले उम्मीदवार के बारे में जानकारी एक आवश्यकता है। इस प्रकार, स्पष्ट शब्दों में, यह मान्यता प्राप्त है कि नागरिक का अधिकार जानने का, जो उसका प्रतिनिधित्व संसद में करता है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)

(a) का अभिन्न हिस्सा होगा और कोई भी कृत्य, जो मौलिक अधिकारों का अपमान करता है, वह शुरू से ही अति विधायी होगा।

19. इस पृष्ठभूमि के साथ, आरपी अधिनियम की धारा 33ए को 24.08.2002 से प्रभावी होने वाले अधिनियम 72 के 2002 के तहत बनाया गया था। इस प्रकार, 2002 के अधिनियम 72 का उद्देश्य एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (सुप्रा) में विचारित अधिकार को साकार करना था। हालांकि, विधायकों ने इस मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्देशित सभी सुझावों को शामिल नहीं किया, लेकिन प्रत्येक उम्मीदवार को धारा 33ए के तहत एक शपथ पत्र द्वारा अपराधिक पूर्वानुमानों को प्रकट करने के लिए बाध्य किया गया, जैसा कि धारा 33(1) के तहत दाखिल नामांकन पत्र के साथ निर्धारित किया गया है, ताकि नागरिकों को उम्मीदवार के अपराधिक पूर्वानुमानों का पता चल सके इससे पहले कि वे भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त मतदान के स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकें। परिणामस्वरूप, वर्तमान में, प्रत्येक उम्मीदवार को अपने अपराधिक पूर्वानुमानों, संपत्ति और देनदारियों और शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में प्रासंगिक जानकारी के साथ एक शपथ पत्र दाखिल करना आवश्यक है।

20. अब हम यह परीक्षा करेंगे कि क्या शपथ पत्र में यह कहना कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है, लेकिन सामग्री को खाली छोड़ना, इसे दाखिल करने के पीछे के उद्देश्य को पूरा करेगा। इस प्रश्न का उत्तर

स्पष्ट इनकार है। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिक के मौलिक अधिकार को साकार करना है। नामांकन पत्र दाखिल करने के समय नागरिकों को वोटिंग का चयन करने के लिए आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। जब एक उम्मीदवार खाली विवरणों के साथ एक शपथ पत्र दाखिल करता है, तो यह शपथ पत्र को नगण्य बना देता है।

21. इस उद्देश्य के लिए, नामांकन परीक्षण की तारीख पर संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए रिटर्निंग आफिसर एक उम्मीदवार को बहुत अच्छी तरह से मजबूर कर सकता है। हमें सूचित किया गया था कि चुनाव आयोग के पास पहले से ही उम्मीदवारों को विधिनुसार एक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए याद दिलाने का एक मानक मसौदा प्रारूप है। हमारी राय है कि ऊपर दिए गए के साथ, उम्मीदवारों को यह संदेश देने के लिए एक और धारा डाली जा सकती है कि उन्हें रिक्त स्थानों को संबंधित जानकारी से भरना चाहिए कि खाली विवरणों के साथ कोई शपथ पत्र ग्रहण के लिए नहीं किया जाएगा। हम पुनरावलोकन करते हैं कि यह नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल करने के समय जो कुछ भी आवश्यक जानकारी पूरी तरह से प्रस्तुत की जाए, इसकी जांच करना नामांकन अधिकारी का कर्तव्य है, क्योंकि इस तरह की जानकारी नागरिकों के 'जानने के अधिकार' को प्रभावी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि एक उम्मीदवार नामांकन अधिकारी द्वारा स्मरणपत्र के बावजूद रिक्त स्थानों

को नहीं भरता है, तो नामांकन पत्र अस्वीकृत करने के लिए उपयुक्त है। हम समझते हैं कि नामांकन पत्र को अस्वीकार करने की नामांकन अधिकारी की शक्ति को बहुत संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन मानदंड को इतना ऊंचा नहीं रखा जाना चाहिए कि न्याय स्वयं पूर्वाग्रहित हो।

22. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी संगत राय में नामांकन अधिकारी द्वारा ऊपर दिए गए प्रत्याख्यान की शक्ति, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) (सुप्रा) की पैरा 73 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, जो इस प्रकार पढ़ी जाती है:-

> "73. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में शपथ पत्र की आवश्यकता के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, नामांकन पत्र को गलत जानकारी देने या महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने के लिए और नामांकनों की जांच के समय संक्षेप जांच के लिए प्रदान करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। संपत्ति और दायित्वों के मामले में, विवरणों की सत्यता या अन्यथा के संबंध में 'प्रलेखन साक्ष्य' के संदर्भ में नामांकन अधिकारी के लिए विचार करना बहुत कठिन होगा। इस तरह के मामलों में प्रलेखन साक्ष्य अक्सर निर्णायक नहीं होते हैं और

संबंधित उम्मीदवार को वहां पर ही आरोप का खंडन करने में बाधा हो सकती है। यदि पर्याप्त समय प्रदान किया जाए, तो उसके पास विरोधी पक्ष के संस्करण का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की क्षमता हो सकती है। यह सच है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी उपर्युक्त निर्देश चुनौती के अधीन नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ प्राथमिक रूप से यह प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग को असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस में जारी निर्देशों के प्रकाश में और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और इसके तीसरे संशोधन के प्रावधानों के अनुसार अपने निर्देशों को संशोधित करना आवश्यक है।"

23. उपरोक्त पैराग्राफ में संदेह के बिना शपथ पत्र की जमा करने की महत्ता पर जोर दिया गया है, हालाँकि, यह मानते हैं कि नामांकन पत्र के लिए गलत जानकारी देने या छिपाने की दिशा और नामांकनों की जाँच के समय सारांश जाँच प्रदान करना न्यायसंगत नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में दस्तावेज़ी सबूत निर्णायक नहीं हो सकते हैं और उम्मीदवार विरोध का तत्काल प्रतिवाद करने में असमर्थ हो सकता है। यह कहना था कि यदि पर्याप्त समय प्रदान किया जाए तो उम्मीदवार प्रतिपक्षी के संस्करण का खंडन करने के लिए सबूत पेश करने में सक्षम हो सकता है। उपरोक्त कारणों से लिखा गया था कि यह स्थिति समायोजित करने के

लिए है जहाँ उम्मीदवार को मिथ्या आरोपों में फंसाया जाता है और वह संक्षेप में आरोप का प्रतिवाद करने में असमर्थ होता है। पैराग्राफ 73 में उपरोक्त निर्णय कहीं भी यह नहीं निर्धारित करता है यह नामांकन पत्र को खारिज करने से रोकता है यदि शपथ पत्र खाली विवरणों के साथ दायर किया गया है। इसलिए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त कहा गया पैराग्राफ रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र अस्वीकार करने से रोकेगा नहीं अगर शपथ पत्र खाली कॉलम के साथ दायर किया जाता है। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम प्रयास करना चाहिए कि 'नील' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' विवरणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए और यदि वह चाहता है कि उसका नामांकन पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकृत किया जाए तो विवरणों को खाली नहीं छोड़ा जाए।

24. इस समय, आर पी एक्ट की धारा 125A का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप, उम्मीदवार की ओर से RP एक्ट की धारा 33A द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफलता का कृत्य उम्मीदवार के खिलाफ अभियोग चलाने में परिणाम करेगा। इसलिए, शपथ पत्र में खाली स्थान छोड़ने से आर पी एक्ट की धारा 125A(i) लागू होगी। जहा तक अभियोजित करने का सवाल है, चूंकि नामांकन पत्र को स्वयं रिटर्निंग आफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, इसलिए उम्मीदवार को उसी कृत्य के लिए फिर से दंडित करने का कोई कारण नहीं है।

25. यदि हम भारत सरकार द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार करते हैं, अर्थात्, जिस उम्मीदवार ने मिथ्या जानकारी के साथ शपथ पत्र दाखिल किया है और जिस उम्मीदवार ने रिक्त स्थानों के साथ शपथ पत्र दाखिल किया है, उन्हें समान माना जाना चाहिए, तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकार, अर्थात् 'जानने का अधिकार', का उल्लंघन होगा, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (सुप्रा) में व्याख्यायित स्वतंत्रता वाक् और अभिव्यक्ति का हिस्सा है।

26. संक्षेप में, यदि चुनाव आयोग शपथ पत्रों में रिक्त स्थानों के बावजूद नामांकन पत्रों को स्वीकार करता है, तो यह नागरिक के उम्मीदवार के आपराधिक पूर्वजों, संपत्ति और देयता और शैक्षिक योग्यता को जानने के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन होगा। इसलिए, उम्मीदवार से रिक्त स्थानों के साथ शपथ पत्र स्वीकार करना एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (सुप्रा) में दी गई राय को निरस्त कर देगा। आगे, अनुच्छेद 125A(i) के तहत उम्मीदवार को अभियोजित करने की बाद की कार्रवाई नागरिक के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में कोई महत्व नहीं रखेगी। उपर्युक्त कारणों के लिए, हम भारत सरकार के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

27. उपरोक्त चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है, वह निम्नलिखित निर्देशों के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है:

(i) मतदाता को संसद/विधान मंडल में उसका प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार के पूर्ण विवरण जानने का मौलिक अधिकार है, और ऐसे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसलिए यह कहा गया है कि उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार लोकतंत्र की धारणा से प्रवाहित एक प्राकृतिक अधिकार है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का एक अभिन्न अंग है।

(ii) नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रभावी करना है। नागरिकों को नामांकन पत्र दाखिल करने के समय आवश्यक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए, रिटर्निंग आफिसर एक उम्मीदवार को संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य कर सकता है।

(iii) विवरणों को खाली छोड़ शपथ पत्र दायर करने से शपथ पत्र निष्फल हो जाएगा।

(iv) रिटर्निंग आफिसर का कर्तव्य है कि वह जांच करे कि क्या नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल करने के समय आवश्यक जानकारी पूरी तरह से प्रदान की गई है, क्योंकि ऐसी जानकारी नागरिकों के 'जानने के अधिकार' को प्रभावी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई उम्मीदवार रिटर्निंग आफिसर द्वारा दी गई चेतावनी के बाद भी रिक्त

स्थानों को भरने में विफल रहता है, तो नामांकन पत्र खारिज होने के लिए पर्याप्त है। नामांकन पत्र को अस्वीकार करने की रिटर्निंग आफिसर की शक्ति को बहुत सतर्कता से प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन यह मानदंड इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए कि न्याय स्वयं पक्षपातपूर्ण हो।

(v) स्पष्ट किया जाता है सिविल लिबर्टीज निर्णय के पैरा 73 में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो रिटर्निंग आफिसर को रिक्त विवरणों के साथ दाखिल शपथ पत्र के आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकार करने से रोकता हो।

(vi) उम्मीदवार को कम से कम प्रयास करना चाहिए कि स्तंभों में 'निल' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' के रूप में स्पष्ट टिप्पणी करें और विवरणों को खाली न छोड़ें।

(vii) रिक्त विवरणों के साथ शपथ पत्र दाखिल करना सीधे तौर पर आरपी अधिनियम की धारा 125ए(i) से प्रभावित होगा। जहा तक अभियोजित करने का सवाल है, चूंकि नामांकन पत्र को स्वयं रिटर्निंग आफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, इसलिए उम्मीदवार को उसी कृत्य के लिए फिर से दंडित करने का कोई कारण नहीं है।

28. यह रिट याचिका उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है।

RP रिट याचिका निस्तारित की

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती ग्रीष्मा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Translated By

GRISHMA SHARMA, RJS (RJ00648)

ADJ No.2, Aburoad, Sirohi (Rajasthan)

04.11.2023

CERTIFICATE

NAME OF THE HIGH COURT: RAJASTHAN HIGH COURT

Sl. No.	Name of the Judicial Officer/ Lawyer/ Translator	Bank details of the Judicial Officer/ Lawyer/ Translator (including A/c No., Name of the Bank, IFSC) and PAN	Citation of the original English e-SCR Judgment translated	Cause Title	Case No.	Date of Judgment	Total Number of pages of e-SCR Judgments translated / validated / corrected by the Translator Judicial Officer	Total amount payable (@Rs. 100 per page)

		No.						
1	Grishma Sharma RJS RJ 00648 ADJ No 2 Aburoad Sirohi Rajasthan	Bank A/C: 61105499438 IFS Code : SBIN0031766 Branch: SBI, Udaipur SSI. PAN: CYWPS8458J	(2013) 9 S.C.R. page 360 to 383 PDF file Name 2013_9_360_383.pdf	Resurgence India V. Election Commission of India & Anr.	Writ Prtition (Civil) No.121 of 2008	13.09.2013	24	